भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 298

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

298. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:
श्री लालजी वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफडीआई नीतियों में सुधार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफडीआई अंतर्वाह घटकर पाँच वर्षों के निम्नतम स्तर पर आ गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) रक्षा, बीमा और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने में क्या प्रगति हुई है और 2024 में एफडीआई पर इसका क्या प्रभाव रहा;

(च) सरकार द्वारा सेवा, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा एफडीआई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है और इसकी प्रगति की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख) और (छ): सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य स्थल बने रहना सुनिश्चित हो

सके। हालांकि, सरकार एफडीआई अंतर्वाह के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि एफडीआई काफी हद तक निजी व्यवसायों के निर्णय का मामला है। एफडीआई अंतर्वाह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और सामान्य निवेश वातावरण के साथ-साथ समग्र आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय।

भारत सरकार विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना को विकसित करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अधिक एफडीआई आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती है।

देशभर में सुचारू व्यवसाय विनियामक फ्रेमवर्क को और मजबूत करने तथा राज्यों को, एफडीआई सहित, निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, संभावित निवेशकों को सकारात्मक व्यवसाय ईकोसिस्टम के उदाहरणों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन के बारे में बताने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स संबंधी सुगमता (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) संबंधी पहल के परिणामस्वरूप देशभर में 670 अधिनियमों के तहत 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों से 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है।

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को उदार बनाने के लिए कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। 2014 से 2019 के बीच किए गए महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में वृद्धि और निर्माण, नागर विमानन और सिंगल

ब्रांड खुदरा व्यापार संबंधी नीतियों को उदार बनाना शामिल है। 2019 से 2024 तक किए गए उल्लेखनीय उपायों में कोयला खनन, संविदा आधारित विनिर्माण और बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान करना शामिल है।

(ग) और (च): एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निधारण कंपनियों, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलाप, कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार तथा अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं।

सरकार, इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि सरकार के पर्यवेक्षण और निजी क्षेत्र की दक्षता को एक साथ लाया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश संवर्धन अधिक कुशल, पेशेवर और निवेशकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो।

स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों हेतु कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, वर्ष 2024 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है ताकि एंजेल कर को समाप्त किया जा सके और विदेशी कंपनी के आय पर लगने वाली आयकर दर को कम किया जा सके। सितंबर 2025 में शुरू किया गया जीएसटी सुधार, भारत की कराधान प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। ये सुधार कर-संरचना को सुव्यस्थित करते हैं, दर को कम करते हैं और मौजूदा कमियों में सुधार करते हैं ताकि उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और किफायती रूप से जीवनयापन को प्रोत्साहन मिले। शिक्षा, ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, फुटवियर, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र सहित अधिक युवा भागीदारी वाले क्षेत्रों

को प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि नवप्रयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा सके।

इसके अलावा, चमड़ा, फुटवियर, कागज, वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौने, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम दर वाली सरल जीएसटी संरचना से मौजूदा व्यवसाय को सहायता मिलने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने और व्यापारियों के लिए अनुपालन सरल होने की संभावना है। कई वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर और परिवहन एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में दर को युक्तिसंगत करके, इन सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, व्यापारियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना तथा भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

सरकार ने निर्यात में विविधता लाए जाने को बढ़ावा देने और निवश आकर्षित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाया है। भारत ने अपने व्यापार साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 06 वरीयतापूर्ण व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षर किया गया, जो एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी समझौता है। स्वीट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आईसलैंड द्वारा 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और अगले 15 वर्षों में एक मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सुनिश्चित करने की एकपक्षीय बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई गई है जोकि मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार हुआ है।

सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातकों को जापान, कोरिया, यूएई जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले लाभ का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके। सरकार

ईयू, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान इत्यादि के साथ पारस्परिक लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रही है। यूएस टैरिफ कार्रवाई के प्रभावों का आकलन करने के लिए सरकार निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

निवेश आकर्षित करने तथा सेवाओं, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं (विवरण **अनुबंध** में दिया गया है)।

उपर्युक्त के अलावा, मौजूदा एफडीआई नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक निषेध सूची आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर, लागू कानूनों/नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन, स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई ने, पर्याप्त गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर सृजित करके भारत के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

(घ): वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (80.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले तीन वित्त वर्षों में सबसे अधिक है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान दर्ज किया गया कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 50.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम) है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 16% अधिक है। यह किसी भी वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान अब तक का सर्वाधिक है।

(ङ): नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति है (पहले यह सीमा 49% थी)। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वत:

अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा में संशोधन करके स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो अपने संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में करती हैं। उदारीकरण शुरू किए जाने वाले वर्ष से–जो कि रक्षा उद्योगों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 है तथा बीमा और दूरसंचार के लिए वित्त वर्ष 2021-22 है–रक्षा उद्योग, बीमा और दूरसंचार क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024-25 तक क्रमशः 11.59 मिलियन अमेरिकी डालर, 8,788.59 मिलियन अमेरिकी डालर और 1,740.81 मिलियन अमेरिकी डालर का एफडीआई अंतर्वाह आकर्षित किया है। सुधार के बाद इन क्षेत्रों में तेज गति भी आई है। उदारीकरण के अपने संबंधित वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रक्षा उद्योगों में एफडीआई में 196.83% की वृद्धि, बीमा में 199.20% की वृद्धि और दूरसंचार में 11.68% की वृद्धि दर्ज की गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग (ग) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निवेश आकर्षित करने तथा विशेष रूप से सॉफ्टवेयर, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. सॉफ्टवेयर क्षेत्र :

सॉफ्टवेयर क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) स्थापित किए गए हैं, ताकि कर लाभ, अवसंरचनागत सहायता और विनियामकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एसईजेड, आईटी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन, सरल विनियम और विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ-साथ, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी सहायता प्राप्त प्रोत्साहनों के अलावा एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

2. सेवा क्षेत्र :

सेवा क्षेत्रों में मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए, भारत में स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 से सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया है। यह कदम, शुरुआती चरण की कंपनियों और उनके निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा को समाप्त करता है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि स्टार्टअप के लिए सहायता बढ़ाने हेतु 10,000 करोड़ रुपए से एक नया निधियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स) स्थापित किया जाएगा।

3. विनिर्माण क्षेत्र:

विकास को गति देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2020 में

शुरू की गई पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल, विनिर्माण परिदृश्य को नया आकार देने और अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रति भारत के दृढ़संकल्प का प्रमाण है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण के योगदान को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा की गई पहलों के फलस्वरूप, विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में 69% की वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2004-2014 के दौरान 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014-2024 के दौरान 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

*****